फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत.........सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक..............मुकाम.....................**भादरा**..................................

....**झिन्डूराम**......बनाम्.. **धोधी आदि** ....

किस्म मुकदमा............**212 आरटीएक्ट** ....न० **34/2021** सन्.............. **2021**..............................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
16.06.2021	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता नरेन्द्र शर्मा के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस पर मनन करने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके रोही मोजा डाबडी के खाता सं0 447/426 के खसरा सं0 612 की 1.4410है0 बारानी खातेदारी वादभूमि को अप्रार्थीगण रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें। इस संबंध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई उज्र एवं ऐतराज हो तो न्यायालय में असालतन एवं वकालतन दिनांक 26.07.2021 को उपस्थित आकर वजह जाहिर करें अन्यथा क्यों ना ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म कर दी जावे। वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलवी रजिस्टर्ड एडी से करवाकर रसीदे न्यायालय में 03 दिवस में पेश करें, अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। पत्रावली दिनांक 26.07.2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा	
26/7/21	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थीउप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते......तलबी दिनांक 4.10.21 को पेश हो। [signature]	not pres
2-11-21	पत्रावली [illegible] के [illegible] आवाज़ [illegible] मूल वाद [illegible] के [illegible] [illegible] कारण प्रार्थना [illegible] 212 आर०, चलाने का कोई औचित्य नहीं है प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature]	[illegible] पटवारी [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:56:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner